

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीढासीन अधिकारी - श्री जगदीश आर्य आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं०
प्रविष्टि दिनांक

84/2019

14.06.2019

उनवान

रामसहाय पुत्र ओंकार जाति ढोली निवासी ग्राम याकूबगंज, झालरा हॉल निवासी मालवीयनगर जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील टोंक (राज०)

अप्रार्थी

उपस्थित :- श्री बैणी प्रसाद गुर्जर - अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक 24/06/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमें अंकितानुसार आराजी खसरा नं० 76 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम याकूबगंज पटवार हल्का झालरा तहसील व जिला टोंक राज० आवेदक की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि है, जिसका लगान भी राज्य सरकार को आवेदक ही अदा करता है। मौके पर सीमांकन ना होने से अप्रार्थीगण आवेदक के उक्त खातेदारी की भूमि को दबाकर निर्माण करना चाहते हैं। सीमांकन नहीं होने से नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त आराजीयात का तहसीलदार टोंक या सक्षम अधिकारी से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो तथा आवेदक की भूमि सुरक्षित रह सके। आवेदक पत्थरगढी का समस्त खर्चा वहन करने को तैयार है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आवेदक का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान, पत्थरगढी पुलिस इमदाद की सहायता से करवायी जाये।


प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने के उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत् 2073-76, पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गई एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण का उपस्थित न्यायालय होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना भी प्रार्थनापत्र की स्वीकारोक्ति की ओर इशारा करता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या नं० 76 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम याकूबगंज पटवार हल्का झालरा तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी पुलिस इमदाद में करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय में भिजवाने की सुनिश्चितता करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 24/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक